कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001
Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0(टेक्नी0) / 08 / 2021–22 / 299 दिनांकः 16 अप्रैल, 2025

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत एक्स–रे टैक्नीशियन के रिक्त 34 पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में से अंतिम रुप से अनर्ह अभ्यर्थी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0(टेक्नी0) / 08 / 2021–22 / 964, **दिनांक– 25 नवम्बर, 2023** के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समूह **'ग'** के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत एक्स–रे टैक्नीशियन के रिक्त **34** पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु जारी विज्ञापन के अनुक्रम में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0(टेक्नी0) / 08 / 2021–22 / 95, दिनांक– **01 फरवरी 2025** द्वारा एक्स–रे टैक्नीशियन के रिक्त **34** पदों पर चयन हेतु दिनांक– **20 अक्टूबर 2024** (रविवार) को आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको का विवरण जारी किया गया तथा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0(टेक्नी0) / 08 / 2021–22 / 160, दिनांक– **21 फरवरी 2025** द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञापन में पदों की संख्या के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी।

02– जारी विज्ञापन में पदों की संख्याा के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों (श्रेणीवार डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए) को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 06 मार्च 2025 तथा अभिलेख सत्यापन में किन्ही कारणों से अनुपास्थित होने पर दिनांक 01 अप्रैल 2025 को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा एक्स–रे टैक्नीशियन पद हेतु वांछित अर्हता धारित न करने एवं वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण तथा अभिलेख सत्यापन में बिना कोई सूचना दिये अनुपस्थित रहने के कारण अंतिम रुप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0(टेक्नी0) / 08 / 2021–22 / 271 , दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वारा जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी अनर्हता / अभ्युक्ति / अनुपस्थिति के सापेक्ष प्रत्यावेदन करने दिनांक 05 अप्रैल 2025 सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था।

03– उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय इस पत्र के साथ संलग्न कर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित किया जा रहा है।

संलग्नक– यथोपरि।

ह0 / –
(प्रदीप जोशी)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

अंतिम अनर्ह सूची

क्रम संख्या	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति	अंतिम निर्णय (यदि प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो)
1	1042021384	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **26 दिसम्बर 2023** के उपरान्त दिनांक **18 मार्च 2024** को निर्गत उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन के नियम– 6 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।'' अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण की तिथि 18 दिसम्बर 2023 अंकित करते हुए आवेदन किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। चूंकि अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 03.04.2025 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ दिनांक **18 मार्च 2024** को निर्गत उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **26 दिसम्बर 2023** के उपरान्त का है। विज्ञापन के नियम– 6 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।'' अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण की तिथि 18 दिसम्बर 2023 अंकित करते हुए आवेदन किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। चूंकि अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को एक्स–रे टैक्नीशियन पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
2	1042021240	**अनर्ह–** अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **26 दिसम्बर 2023** तक अनिवार्य वांछित शैक्षिक अहता धारित नहीं करता है। अभ्यर्थी द्वारा **जुलाई 2024** में बी0एस0सी0 मेडिकल टैक्नोलॉजी (रेडियोग्राफी एन्ड इमेजिंग) की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण की तिथि 06 दिसम्बर 2023 अंकित करते हुए आवेदन किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को एक्स–रे टैक्नीशियन पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

3	1042021152	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **26 दिसम्बर 2023** के उपरान्त दिनांक 22 फरवरी 2024 को निर्गत उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन के नियम– 6 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।'' अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण की तिथि 14 दिसम्बर 2023 अंकित करते हुए आवेदन किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। चूंकि अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को एक्स–रे टैक्नीशियन पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
4	1042021363	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **26 दिसम्बर 2023** के उपरान्त दिनांक 18 जनवरी 2024 को निर्गत उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन के नियम 6 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।'' अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण की तिथि 23 दिसम्बर 2023 अंकित करते हुए आवेदन किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा दिनांक– **03.04.2025** को मेल के माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन में दिनांक– **06.03.2025** को उनके द्वारा पूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है तथा दिनांक 03.04.2025 को डाक के माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन के साथ दिनांक 18.03.2024 को निर्गत उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **26 दिसम्बर 2023** के उपरान्त का निर्गत किया गया है। विज्ञापन के नियम 6 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।'' अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण की तिथि 23 दिसम्बर 2023 अंकित करते हुए आवेदन किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को एक्स–रे टैक्नीशियन पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
अनुक्रमांक 1042021377 तथा 1042021117 अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 06 मार्च 2025 को बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित रहे है तथा पुनः दिनांक 01 अप्रैल 2025 को अवसर देने के उपरान्त भी बिना कोई कारण बताये अनुपस्थित रहे है और अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अनुक्रमांक 1042021377 तथा 1042021117 के अभ्यर्थियों को एक्स–रे टैक्नीशियन परीक्षा– 2023 में अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।			